8.1.90

नगर परिषद, जौनपुर की छठवीं बैठक दिनांक 8.1.90 दिन सोमवार अपराह्न 2.30 बजे श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, की अध्यक्षता में टाउनहाल कार्यालय में जिसमें 24 सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाई निम्नप्रकार है,

1.	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष
2	" हाजी मो० सलीम	सदस्य,
3	" मिर्जा जफरत हुसेन	"
4	" श्रीमनाथ शर्मा	"
5.	" बाबूराम	नामित सदस्य
6	" राजेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य
7	" डा० कृष्णकुमार	"
8	" रमजान खां	"
9	" शिवकुमार गुप्त	"
10	" नजीर हुसेन	"
11	" कैलाशनाथ मौर्य	"
12	" मिठाईलाल	"
13	" रविन्द्र प्रताप सिंह	"
14	" सै० मेंहदी हसन	"
15	" दयाशंकर	"
16	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	"
17	" डा० सुनील श्रीवास्तव	"
18	" रामअधार यादव	"
19	" गणेशनाथ रावत	"
20.	" मुख्तार अहमद	"
21.	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	"
22	" विद्यासागर सोनकर	"
23	" अनेसरजा	"
24	" दुक्खलाल	"

[signature] 25/1/90

अधिशासी - अधिकारी,
सिटी - बोर्ड
जौनपुर
8.1.90

[signature]
अध्यक्ष
सिटी - बोर्ड
जौनपुर
8.1.90 25-1.90

<u>8.1.90</u>

"सिटी-बोर्ड-जौनपुर की दिनांक 8.1.90 को सम्पन्न हुयी" बैठक की कार्यवाही।

बैठक प्रारम्भ होने पर अध्यक्ष, सिटी बोर्ड ने उपस्थित सभी सदस्यों को नववर्ष की बधाई दी, जिसके उत्तर में सभासदों की ओर से डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्ष सहित पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नये वर्ष की बधाई दी। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि प्रदेश में नयी सरकार का गठन हुआ है, अतः नयी सरकार तथा जनपद के नवनिर्वाचित सांसदों एवं विधायकों को भी उनकी विजय के साथ ही नववर्ष की बधाईयाँ इस सदन के माध्यम से दी जाय, जिसे सभी ने स्वीकार किया।

इसी तारतम्य में सभासद श्री श्रीमती आर्य ने बैठक के दिन पुलिस बल बुलाये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा कि इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्य सदन की गरिमा से अवगत हैं, अतः बैठक के दिन पुलिस बुलाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि सदन में किसी सदस्य से असंसदीय व्यवहार अथवा शांति भंग की सम्भावना नहीं है। उपस्थित सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया, जिस पर यह निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में पुलिस नहीं बुलायी जायेगी।

प्रस्ताव की प्रस्तरवार बैठक की कार्यवाही निम्नवत सम्पन्न हुयी:

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1 बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 3-10-89 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	अधिशासी-अधिकारी द्वारा मिनट-बुक (कार्यवाही पुस्तिका) में अंकित 3-10-89 की कार्यवाही पढ़ी गयी, इसके बाद अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड द्वारा कार्यवाही पुष्टि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर सभासद श्री अंसारजी ने यह प्रश्न किया कि उन्हें बताया जाय कि मिनट बुक ~~[illegible]~~ कहाँ और किसके पास रहती है।

Scanned with OKEN Scanner

8.1.90.

उन्होने यह भी बताया कि मिनट बुक (कार्यवाही पुस्तिका) का निरीक्षण किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उन्हे बताया गया कि मिनट बुक अध्यक्ष के आवास पर है। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष, ने भी इस बात का समर्थन करते हुये कहा कि उन्होने भी कई सभासदों के साथ परिषद लिपिक श्री महेशनारायण से मिनट बुक निरीक्षण हेतु मांगा तो उन्हे भी यही उत्तर दिया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमजान खां ने कहा कि उन्होंने मिनट बुक के कुछ प्रस्तावों की प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन एक माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी उन्हे नकल नही दी गयी यह नितांत आपत्तिजनक तथा मान्य सदस्यों की अवमानना है तथा मिनट बुक देखने से सदस्यों को रोके जाने का भी एक सबूत है। सभासद डा० श्री सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि पालिका अधिनियम के अनुसार मिनट बुक पालिका सदस्यों के लिये ही नही अपितु नगर के हर करदाता नागरिक के लिये निरीक्षण हेतु उपलब्ध

तराये जाने का स्पष्ट प्राविधान है। श्री विद्यासागर सोनकर एवं डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने भी इसका समर्थन किया। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, सभासद ने आगे यह कहा कि यह स्पष्ट किया जाय कि मिनट बुक आगे से किसके पास रहेगी जहाँ सभासद-गण आसानी से आवश्यकता पड़ने पर इसका निरीक्षण कर सके। इस पर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि भविष्य में मिनट बुक परिषद लिपिक श्री महेशनारायण के पास रहेगी और सभासदगण कार्यालय समय में किसी भी समय इसका निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकरण पर सभासद श्री अनस-रजा, श्री रमजानखाँ, डा० श्री सुनील-श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मो० सलीम ने कहा कि पिछली बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर उन लोगों ने जो विचार एवं संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनको बैठक की कार्यवाही में न सम्मिलित कर-सभासदों की अवमानना की गयी है, इसे स्पष्ट किया जाय कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है और सदस्यों की अवमानना क्यों की गयी। कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमजानखाँ ने अपने संशोधन को स्पष्ट करते हुये कहा कि उन्होंने 25 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों को सभासदों के निर्देशन में प्रति सभासद एक

8.1.90

सफाई कर्मचारी नियोजित करने का सुझाव दिया था, जिससे सभासद अपने क्षेत्र से प्राप्त सफाई शिकायतों का यथासम्भव निस्तारण करा सके। इनके इस प्रस्ताव का अधिसंख्यक सभासदों ने समर्थन भी किया था लेकिन उनके इस सुझाव को परिषद कार्यवाही में सम्मिलित न कर परिषद सभासदों की खुली अवमानना की गयी, इसका कारण बताया जाय। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मान्य सभासदों के सभी विचार एवं संशोधन कार्यवाही में सम्मिलित किये जायेंगे, लेकिन सभासदगण इससे सन्तुष्ट नहीं हुये और सभासद श्री अनवर जी के इस प्रस्ताव पर सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध प्रगट करने लगे कि जब-तक इस प्रकरण में पूरी स्थिति साफ नहीं की जाती है, तब तक सदस्य अपना स्थान नहीं ग्रहण करेंगे। सभासदों ने यह भी कहा कि जब अधिशासी-अधिकारी/सचिव सहित अध्यक्ष एवं परिषद लिपिक द्वारा भी उनके सुझाव एवं संशोधन नोट किये जाते हैं तो फिर उन्हें बैठक की कार्यवाही में क्यों नहीं सम्मिलित किया? क्या यह जानबूझ कर नहीं किया गया और कौन इसके लिये

उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में अधिशासी-अधिकारी / सचिव श्री अपनी स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा उनके विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया जायेगा। सभासदों के बढ़ते हुये विरोध को देखते हुये अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि - अधिशासी-अधिकारी इस पर स्थिति स्पष्ट करें। इस पर अधिशासी अधिकारी ने अध्यक्ष एवं सभासदों को बताया कि पिछली बैठक में अलग-अलग प्रस्तावों पर मान्य सभासदों के जो भी संशोधन एवं सुझाव प्राप्त हुये थे, उनको बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित करते हुये बैठक की कार्यवाही टाइप करा-कर निर्धारित अवधि में अध्यक्ष के पास परिषद लिपिक के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। कार्यवाही पुस्तिका में उपरोक्त कार्यवाही अंकित करने में विलम्ब होने पर उन्होंने अध्यक्ष का लिखित ध्यान इस ओर आकृष्ट किया लेकिन फिर भी कार्यवाही पुस्तिका उपलब्ध नही हुयी और काफी समय बाद परिषद लिपिक ने बताया कि कार्यवाही आयुक्त, वाराणसी मंडल, वाराणसी एवं जिलाधिकारी-जौनपुर को भेज दी गयी है। इसके पूर्व - सभासद श्री अनसरजा ने अध्यक्ष की अनुमति से परिषद की बैठक में ही मिनट बुक लेकर देखना चाहा जो उन्हे उपलब्ध करायी गयी। उन्होने दिनांक 3-10-89 की कार्यवाही देखकर सभी सभा-सदों को अवगत कराया कि पिछली

8.1.90.

बैठकों की कार्यवाहियों मे अधिशासी-अधिकारी के हस्ताक्षर तो हैं लेकिन 3-10-89 की कार्यवाही में अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो अनिवार्य है। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक ही नहीं गम्भीर बात है तथा इस तथ्य का द्योतक है कि परिषद की कार्यवाही बिना अधिशासी-अधिकारी के हस्ताक्षर ही सीधे भेजी गयी है, जो नितान्त आपत्ति जनक है।

अधिशासी-अधिकारी पुनः वस्तु-स्थिति स्पष्ट किया कि परिषद बैठक की कार्यवाही कब और किसको भेजी गयी है, यह उनकी जानकारी में नहीं है। लेकिन बहुसंख्यक सभासदों की मांग पर अधिशासी-अधिकारी 25 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों के सम्बन्ध मे दिनांक 3-10-89 की बैठक में सभासदों के विचारों एवं संशोधनों को जैसा लिपिबद्ध किया था बैठक में पढ़कर सुना दिया, जिससे सभी सभासद अपने अपने विचारों की प्रविष्टि कार्यवाही में पाकर सहमत एवं सन्तुष्ट हुये लेकिन इससे भी स्थिति शान्त नहीं हुयी और सदस्यों ने सचिव/अधिशासी-अधिकारी द्वारा तैयार की गयी दिनांक 3-10-89 की कार्यवृत्त अविलम्ब परिषद बैठक में ही कार्यवाही पुस्तिका पर अंकित

करने की मांग की, इस पर सचिव ने बताया कि उक्त कार्यवाही 14 पृष्ठ (टाइपशुदा) है, जिसे अंकित करने में समय लगेगा। इस पर सदस्यों ने कहा कि आज की बैठक स्थगित कर बैठक 9.1.90 को हो, इस पर डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव सभासद ने अध्यक्ष एवं सभी सभासदों के समक्ष दो प्रस्ताव रखे कि अधिशासी अधिकारी/सचिव द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही को कार्यवाही पुस्तिका में यथावत अंकित किया गया मानते हुये, परिषद की बैठक को चालू रखा जाय और दिनांक 3-10-89 की संशोधित कार्यवाही की पुष्टि तथा 8.1.90 की इस बैठक की कार्यवाही की पुष्टि अगली बैठक में की जाय और बैठक को चालू रखा जाय अथवा यह बैठक सचिव/अधिशासी अधिकारी द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही को अंकित करने के लिये स्थगित कर आगे 9 या 10 जनवरी 90 को यह बैठक की जाय। इस पर सभी सभासदों ने प्रथम प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि कार्यवाही पुस्तिका में अंकित दिनांक 3.10.89 की कार्यवाही के स्थान पर सचिव द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही अंकित की जाय और आगामी बैठक में 3.10.89 की कार्यवाही के रूप में उसी कार्यवाही को पढ़ा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

8.1.90.

सबसे अन्त में डा० सुनील श्रीवास्तव एवं श्री विद्यासागर सोनकर सभासदों ने अलग अलग कहा कि जब दिनांक 3.10.89 के बैठक की कार्यवाही की पुष्टि नही की गयी और उसके स्थान पर नयी कार्यवाही जो अंकित की जा रही है तो पूर्व में अंकित कार्यवाही के अनुसार जिन प्रस्तावों पर कार्यान्वयन हो चुका है या हो रहा है, उन प्रस्तावों की वैधानिक स्थिति क्या होगी? जिसे स्पष्ट किया गया कि पुष्टि के अभाव में उन प्रस्तावों के अनुसार कार्यान्वयन अनियमित होगा, उनको आगे के लिये कार्यान्वयन रोक दिया जायेगा। इसी बीच श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ने यह कहा कि यह बैठक तीन माह बाद हो रही है, जबकि दिनांक 3-10-89 की बैठक में उनके काम रोको प्रस्ताव पर आश्वासन दिया गया था कि प्रति माह एक बैठक होगी लेकिन उसका अनुपालन नही किया गया और सदस्यों द्वारा अधियाचन प्रस्तुत किये जाने पर भी बैठक नही बुलाई गयी जो नियमों की अवहेलना है। अतः इसी बैठक में ही अगली बैठक की तिथि घोषित की जाय, जिस पर अध्यक्षा ने विचारोपरान्त अगली बैठक की तिथि 20-1-90

घोषित किया। इसके बाद बैठक की कार्यवाही अगले प्रस्तावों पर विचार विमर्श हेतु जारी रही।

2- सिटी बोर्ड जौनपुर के समासद डा० सुनील श्रीवास्तव का निम्नांकित प्रस्ताव, जिसका समर्थन सम्मानित समासद गण सर्व श्री जनाब रजा और डा० श्री कृष्ण कुमार ने किया, पारिषद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ -

(क) वर्ष 1987-88 में स्वास्थ्य विभाग में आये सामानों की भौतिक जाँच हेतु एक समिति बनायी जाय, जो अगली बैठक के पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इस सम्बन्ध में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि एक तीन सदस्यीय समिति इसकी जाँच करे और अपनी जाँच आख्या फरवरी 90 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करे। समिति में निम्न लिखित तीन सदस्य होंगे :-

(1) डा० सुनील श्रीवास्तव, समासद-संयोजक
(2) हाजी मो० सलीम " - सदस्य
(3) श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह " - सदस्य

(ख) वर्ष 1986-87 एवं 87-88 के स्वास्थ्य विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सत्यता की जाँच हेतु एक 2 सदस्यीय कमेटी बनायी जाय, जो अगली बैठक तक रिपोर्ट दे।

इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से तीन सदस्यों की एक समिति बनाकर जाँच करने का निर्णय लिया गया। समिति में निम्न लिखित तीन सदस्य होंगे :-

(1) डा० सुनील श्रीवास्तव, समासद संयोजक
(2) श्री कैलाशनाथ मौर्य " - सदस्य
(3) " गणेशनाथ पसावत " - सदस्य

इस सम्बन्ध में समासद श्री-

8.1.90

अंसारजा ने कहा कि केवल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की ही जाँच नही होनी चाहिये बल्कि रेगुलर कर्मचारियों की भी जाँच होनी चाहिये, क्योंकि कई ऐसे सफाई कर्मचारी बताये गये है, जो कभी काम ही नही करते है बोर्ड की पहली बैठक मे उन्होंने कुछ कर्मचारियों का नामोल्लेख भी किया था। कुछ कर्मचारी स्वयं काम न करके अपने घर के किसी बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपना कार्य कराते हैं, यह भी उचित नही है इसकी भी जाँच कराई जाय और इसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

(ग) चल चित्र गृहों, शीतगृहों एवं बैंकों के भवनों के असेसमेन्ट की अन्य गृहों के असेसमेन्ट से तुलनात्मक जाँच हेतु एक समिति का गठन।

इस सम्बन्ध में तीन सदस्यों की एक समिति सर्वसम्मति से स्वीकृत की गयी, जिसके सदस्य सर्वश्री सोमनाथ-आर्य, श्री मिर्जा ज्यारत हुसैन और श्री शिवकुमार गुप्ता होंगे। यह समिति अपनी आख्या फरवरी 90 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी, जिसे बोर्ड की अगली बैठक में सदन पटल पर रखी जायेगी।

3- सिटी-बोर्ड, जौनपुर के सम्मानित सभासद श्री दयाशंकर का निम्नांकित प्रस्ताव, जिसका समर्थन सम्मानित सभासद, श्री मुख्तार अहमद ने किया, परिषद विचारार्थ प्रस्तुत :-

(क) मुहल्ला मण्डारी स्टेशन स्व० शाह अख्तर हुसेन वकील के मकान के उत्तर तरफ से तारकोल की सड़क मरदानपुर होते हुये ईसापुर में मिलती है, वह काफी क्षतिग्रस्त है, क्यों कि इस सड़क का निर्माण 15-16 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी आज तक मरम्मत नही हुयी - कृपया इसकी मरम्मत कार्य अविलम्ब कराया जाय।	निर्माण समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर सहमति पायी गयी।
(ख) मो० ओमकारपुर (आदमपुर) में बस्ती के अन्दर श्री रामबचन के मकान से श्री मोतीलाल के मकान तक ईंट का फर्श लगाना जनहित में आवश्यक है। कृपया फर्श लगाने की स्वीकृति दी जाय।	निर्माण समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने पर सहमति पायी गयी।
4. जिलाधिकारी जौनपुर के पृष्ठांकन सं० 740(3) एल० बी० सी० दि० 14-3-89 के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम	इस सम्बन्ध में सदस्यों ने बताया कि पुस्तकालय का नामकरण किये जाने के पूर्व पद छानबीन किया जाना

4 सेनानी श्री दिवाकर सिंह का 26.1.89 का प्राप्त निम्नांकित प्रस्ताव जिसका समर्थन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री त्रिलोक मोहन उपाध्याय ने किया है, बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत -
"गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज कचहरी परिसर में जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की एक बैठक पं० श्री नागेश्वर-द्विवेदी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि म्युनिसपल लाइब्रेरी (जो शाही पुल पर है) का नामकरण वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री राम सुन्दर पाठक लाइब्रेरी किया जाय"

आवश्यक है कि इसके पूर्व इस पुस्तकालय का नामकरण तो नहीं किया गया है। इसी तारतम्य में सभासद श्री अनसरजा ने संशोधन प्रस्तुत करते हुये कहा कि जनपद के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में स्व० श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह जी भी आते हैं, जो सौभाग्य से नगर-पालिका के लम्बे समय तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्होंने इस नगर में हिन्दी भवन, नेत्र चिकित्सालय, जे० सी० ज संस्थायें जैसी लोकोपकारी संस्थायें दी हैं, किन्तु किसी भी संस्था से अपना नाम नहीं जोड़ा अतः ऐसी महान विभूति का सम्मान करने के लिये उचित होगा कि नगर पालिका पुस्तकालय का नाम "स्व० श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह पुस्तकालय" किया जाय। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, डा० सुनील श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हाजी मो० सलीम आदि बहुसंख्यक सभासदों ने इस प्रस्ताव का जोरदार

समर्थन किया। इस पर अध्यक्ष की ओर से यह निर्णय लिया गया कि पहले नामकरण के प्रकरण की छानबीन कर ली जाय, इसके बाद अगली बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

5. सिटी-बोर्ड-जौनपुर के सभासद डा० सुनील श्रीवास्तव का दिनांक 5.7.89 का निम्नांकित प्रस्ताव, जिसका समर्थन पालिका सभासद श्री दयाशंकर ने किया है, परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत :—

(क) वर्तमान बोर्ड के पूर्व नगर-पालिका एक होम्योपैथिक औषधालय चलाया करता था, जिसको पालिका के भंग होने के बाद, प्रशासक ने भंग कर दिया। अब जब कि निर्वाचित परिषद पुनः कार्य कार्य कर रही है, जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखकर कमसेकम दो औषधालय गोमती नदी के दोनो किनारों पर बसे नगर में स्थापित किया जाय।"

इस सम्बन्ध में प्रस्तावक सदस्य डा० सुनील श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक चिकित्सालय पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा कि यह औषधालय गोमती नदी के किसी किनारे पर स्थापित किया जाय और नगर-पालिका इसके लिये रु 2000/- दो हजार का अनुदान उपलब्ध करा दे तो वह स्थानीय नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से इस औषधालय को पुनः चालू करने का हर सम्भव प्रयास कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में बताया गया कि औषधालय खोला जाना नगरपालिका की वैकल्पिक —

8.1.90.

कर्तव्यों में आता है। पालिका की वर्तमान वित्तीय स्थिति में पुनः औषधालय खोला जाना संभव नहीं है।

5(ख) एक पद पर विगत 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों का तुरन्त स्थानान्तरण किया जाय।

(ग) कर्मचारियों के मूल पद जिस पर उनकी नियुक्ति हुयी थी, को देखा जाय एवं यथाशीघ्र उनके मूल पद पर भेजकर प्रशासकीय अनियमितता दूर की जाय। चाटुकारिता के बल पर पद प्राप्त किये कर्मचारियों का मनोबल इससे गिरेगा एवं कर्मठ कर्मचारियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों से उनके ग्रेड के अनुसार ही काम लिया जाय, जिससे हर ग्रेड के कर्मचारियों के साथ न्याय हो सके।

इस सम्बन्ध में अधिकांश सभासदों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और यह स्पष्ट किया कि पालिका में कुछ कर्मचारी लम्बे समय से एक ही सीट पर तैनात हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है, इसमें अन्य कर्मचारियों को अपनी कार्यक्षमता प्रस्तुत किये जाने का न तो अवसर मिलता है और लम्बे समय से एक ही सीट पर तैनात कर्मचारियों का सर्व साधारण यहाँतक कि सभासदों के प्रति भी उत्तर संतोषजनक नहीं रहा। सभी सभासदों ने इसका समर्थन किया कि जो कर्मचारी लम्बे समय से एक ही सीट पर कार्यरत हैं उन्हें तत्काल स्थानान्तरित किया जाय तथा जो कर्मचारी अपने ग्रेड से ऊपर का या नीचे के ग्रेड में किसी कारण विशेष से कार्यरत हैं उनको तत्काल हटाया जाय और उस ग्रेड के कर्मचारी से ही कार्य लिया जाय। सर्व श्री अनसरजा, शिव कुमार गुप्त, विद्यासागर सोनकर,

Scanned with OKEN Scanner

रमजान खाँ, डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, डा० सुनील श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रताप सिंह, मो० सलीम, राम अवतार यादव, श्री मनोज आर्य, वीरेन्द्र प्रताप यादव, सै० मेंहदी हसन ने इस सम्बन्ध में अपने अलग अलग विचार व्यक्त किये। श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद ने कनिष्ठतम कर निरीक्षक को इंचार्ज चुंगी अधीक्षक बनाये जाने पर घोर आपत्ति व्यक्त किया और यह कहा कि जब पालिका में चुंगी अधीक्षक स्तर का दूसरा अधिकारी तैनात है तो कर-निरीक्षक को इंचार्ज चुंगी अधीक्षक बनाया जाना नितांत आपत्ति जनक एवं नियमों का उलंघन है। सभासद श्री अनसरजा ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुये कहा कि इससे अन्य कर निरीक्षकों एवं कर-अधीक्षक में असन्तोष भी है और इससे पालिका आय में प्रतिकूल प्रभाव तो पड़ा ही है, पालिका कार्य-प्रणाली भी प्रभावित हुयी है। श्री रमजान खां, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि इसमें नियमों एवं उप-नियमों की खुली अवहेलना की गयी है। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें ~~उन्हें~~ कर-अधीक्षक या किसी कर निरीक्षक की ओर से कोई-प्रत्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है, इस पर वह विचार करेंगे। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में

8.1.90.

उनकी कर-अधीक्षक से वार्ता हुयी है और वार्ता के अनुसार ही उन्होने निर्णय लिया है। इस पर सदस्यों ने असहमति एवं असन्तोष व्यक्त करते हुये कहा कि वार्ता से नियम और कानून को नही बदला जा सकता है और न ही किसी कर्मचारी की वरिष्ठता को अतिक्रमित किया जा सकता है। यदि वरिष्ठ अधिकारी उस पद के लिये अयोग्य पाये जाते है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है तथा उसे दण्डित किया जा सकता है लेकिन यह अनुमान लगाकर वरिष्ठ कर्मचारी / अधिकारी या वरिष्ठ कर-निरीक्षक को हतोत्साहित किया गया है। सदस्यों ने यह भी कहा कि कर निरीक्षक श्री बालकृष्ण तिवारी को सदन में बुलाया जाय और वह स्पष्ट करें कि उन्होने चुंगी अधीक्षक पद का कार्य देखने से इन्कार किया है एवं कर अधीक्षक जो बोर्ड की बैठक मे उपस्थित है, उनसे भी इस सम्बन्ध मे पूछा जाय। सदस्यों ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का यह कथन गलत है कि किसी कर निरीक्षक की ओर से कोई प्रत्यावेदन

8.1.90.

नहीं प्राप्त हुआ है। कर अधीक्षक
एवं प्रवर्तन निरीक्षक ने स्वयं प्रत्यावेदन
दिया है। इस सम्बन्ध में अधिशासी-
अधिकारी ने वस्तुस्थिति स्पष्ट
किया कि किसी पद के रिक्त
होने पर उसके समकक्ष पद के
पदाधिकारी को ही उसका कार्य-
भार दिया जा सकता है। ऐसी
दशा में राजस्व अधीक्षक (कर)
को रहते हुये राजस्व अधीक्षक
(चुंगी) का कार्य किसी दूसरे को
सौंपना अनियमित तथा गलत है
और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को
भी अवगत कराया गया है। सदस्यों
ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध
में अध्यक्ष ने बोर्ड को विश्वास
में न लेकर गलत किया है। श्री
अनीसरजा, सभासद ने इसी प्रकरण
में जानना चाहा कि क्या राजस्व-
अधीक्षक (चुंगी) के रिक्त पद
पर तैनाती हेतु शासन या
निदेशालय को कोई पत्र
भेजा गया है, और यदि नहीं
भेजा गया है तो क्यों? क्या
इसका यह अर्थ लगाया जाय कि
कनिष्ठतम कर निरीक्षक को ही इंचार्ज
चुंगी-अधीक्षक बनाये रखने के
लिये भी शासन को पत्र नहीं-
भेजा गया है। इस पर अध्यक्ष
ने बताया कि सामान्यतः तैनाती
निदेशालय एवं शासन की ओर से-

8.1.90.

ही होती है, इसलिये पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं महसूस की गयी इस पर जब समासद श्री अनसरजा ने पुनः कहा कि ऐसी स्थिति में नगर-पालिका में सहायक अभियन्ता, चुंगी-अधीक्षक, एवं नगर स्वास्थ्य-अधिकारी के पद शायद ही पूरे हो पायेंगें और यह नगर-पालिका धीरे-धीरे अधिकारी विहीन होकर मात्र बाबूओं/लिपिकों और कर निरीक्षकों के हाथ ही हो जायेगी। इस पर अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि सहायक-अभियन्ता की तैनाती के लिये जिलाधिकारी की ओर से अर्धशासकीय पत्र लिखा गया है तथा नगर-स्वास्थ्य अधिकारी का पद रिक्त होने पर तुरन्त ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया है। इस पर श्री अनसरजा, समासद ने अध्यक्ष के उपरोक्त उत्तर को सदन में गुमराह-किया जाना बताया। श्री शिवा-सागर सोनकर, समासद, ने कहा कि केवल नगर-पालिका में ही नहीं बल्कि नगर पालिका-इन्टर कालेज में भी इसी प्रकार एक कालिख प्रवक्ता

को कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना
दिया गया है, जिससे वहाँ भी
अध्यापकों में असन्तोष उत्पन्न
हो रहे हैं। इस पर अध्यक्ष ने
बताया कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य
श्री श्यामोहन वर्मा के चिकित्सा
अवकाश पर चले जाने पर
उन्होंने दूसरे वरिष्ठतम प्रवक्ता
श्री सूर्यवली शुक्ला से पूछा तो
उन्होंने प्रधानाचार्य का कार्यभार
सम्भालने में असहमति व्यक्त
की, ऐसी दशा में श्री जगनाथ
यादव, को कार्यवाहक प्रधानाचार्य
नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष
ने यह भी बताया कि श्री वर्मा का
अनुशासन काफी शिथिल रहा उनके
कार्यकाल में विद्यालय में छात्रों
में प्रायः आये दिन मारपीट होती
रही, इसलिये भी श्री यादव को
कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया
गया। अध्यक्ष ने यह भी बताया
कि अवकाश से लौटने के बाद
श्री वर्मा ने कोई क्लेम भी नहीं
प्रस्तुत किया। इस पर डा० श्री
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने
कहा कि मारपीट की घटना की
बात गलत है श्री श्यामोहन वर्मा
लगभग 4 वर्ष तक कार्यवाहक प्रधाना-
चार्य का कार्य कर चुके हैं, वह
एक अनुशासन प्रिय और सिद्धान्त
से समझौता न करने वाले -

8.1.90.

कोर्ट अध्यापक रहे हैं, उन्हें हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। कई सभासदों ने इसका समर्थन किया। श्री रमजान खाँ सभासद ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा सीधे प्रधानाचार्य पद पर कार्यवाहक व्यवस्था गलत है, उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में शिक्षा समिति और बोर्ड के द्वारा इस पर अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य था। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मौलिक रूप से शिक्षा समिति के अध्यक्ष से पूछताछ कर यह निर्णय लिया गया है, जिस पर अधिकांश सदस्य सहमत नहीं हुये और यह आरोप लगाया कि इस प्रकार के हस्तक्षेप से विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी दौरान सभासद श्री नजीर ने कहा कि सफाई जमादारों का स्थानान्तरण गलत ढंग से किया गया है और सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई जमादारों एवं सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, आये दिन इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं श्री नजीर सभासद ने बिना किसी कारण सफाई कर्मचारियों एवं

सफाई नायकों के वेतन रोके जाने की भी बात कही। श्री श्री मनाथ आर्य तथा श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, सभासद, ने इसका समर्थन किया। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जिन कर्मचारियों की तनख्वाह (वेतन) रोकी गयी है उनकी तनख्वाह भुगतान कर दी जायेगी। सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि सफाई समिति के तत्कालीन अध्यक्ष भी सफाई निरीक्षक के साथ सफाई कर्मचारियों एवं सफाई नायकों को प्रताड़ित करने में सहयोग किये जो आपत्ति-जनक है। इस प्रकरण में प्रायः सभी सभासदों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किये और आम सहमति यह पायी गयी कि तीन वर्ष या तीन वर्ष से अधिक अवधि तक एक सीट पर कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को तत्काल दूसरे सीट पर भेजा जाय तथा स्थानान्तरण किया जाय। इस सम्बन्ध में एक समिति बनाये जाने के प्रश्न पर निर्णय नहीं हो पाया और अन्तिम निर्णय यह लिया गया कि तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक सीट पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची प्रस्तावक सभासद को

8.1.90.

	उपलब्ध करा दी जाय और वह समस्त समाचारों से आवश्यक विचार विमर्श करके अगली बैठक में ही उस पर निर्णय लिया जायेगा।
5(ड़)। - शिक्षा विभाग के सदस्य की हैसियत से मेरा सुझाव है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद विद्यालय पुनः खुल गये हैं। छात्र/छात्राओं के शिक्षा को ध्यान में रखकर रिक्त अध्यापकों की नियुक्ति यथाशीघ्र कर दी जाय। इसमें विलम्ब कर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ न किया जाय।	इस सम्बन्ध में बताया गया कि वर्तमान समय में नियुक्तियों पर रोक है। ऐसी दशा में स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं किया जा सकता।
6. डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद - सिरौ - बोर्ड जौनपुर का पालिका अध्यक्ष को सम्बोधित अनुरोध पत्र, पालिका प्रधान कार्यालय के प्रथम श्रेणी लिपिक श्री मेहरा- नराजा को 17.7.89 को - आख्या और उस पर उसी दिन अंकित अधिशासी - अधिकारी की टिप्पणी के साथ बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत। " नगर - पालिका बालिका मा० विद्यालय रासमंडल को उच्चीकृत कर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया जाय"	इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि नगर-पालिका बालिका माध्यमिक विद्यालय रासमंडल को उच्चीकृत करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाये जाने हेतु बेसिक शिक्षा परिषद तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को अलग - अलग पत्र लिखा जाय।

7.	परिषद प्रस्ताव सं० 5 दिनांक 3.10.89 से पालिका प्रकाश व्यवस्थार्थ रु 20/- दैनिक वेतन पर रखे गये मिस्त्री का कार्यकाल 1.11.89 से 31.1.90 तक बढ़ाने सम्बन्धी प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी-अधिकारी / अध्यक्ष की 3.11.89 की संस्तुति बोर्ड के विचारार्थ.	इस सम्बन्ध में श्री अनवरजा, सभासद ने विरोध व्यक्त करते हुये कहा कि इसे 3.10.89 की बैठक में केवल एक माह के लिये स्वीकृति दी गयी थी तो फिर माह नवम्बर व दिसम्बर 89 के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से क्यों काम लिया गया और यदि यह प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखकर मात्र सदस्यों को जानकारी में लाने की ही बात है तो यह सदस्यों का खुला अपमान है। पहले इस प्रकरण में इसे एक माह की स्वीकृति दी गयी थी कि अगले माह से बोर्ड की बैठक में स्वीकृत किया जायेगा लेकिन फिर भी बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में एक लम्बी धनराशि का भुगतान कर उपयोग किया गया है। ऐसी दशा में वह प्रस्ताव सं० 7 से 11 तक के लिये प्रस्तावों का बहिष्कार करते हैं। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह डा० श्री सुनील श्रीवास्तव और श्री रमजान खां सभासद ने भी श्री अनवरजा, सभासद का समर्थन किया कि बिना बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये ही इन कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाना गलत है। अन्त में दिनांक 1.11.89 से दिनांक 31.12.89 तक की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 1.1.90 से 31.1.90 तक की वर्तमान अवधि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

8. परिषद प्रस्ताव सं० 6 दिनांक 3-10-89 से पालिका सफाई कार्यों हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल दिनांक 1.11.89 से 31.1.90 तक बढ़ाये जाने की स्वास्थ्य विभागीय आख्या - अधिशासी - अधिकारी / अध्यक्ष के क्रमशः दिनांक 2.11.89 व 3.11.89 की संस्तुतियों के साथ परिषद विचारार्थ।	इस सम्बन्ध में श्री रमजान खां, सभासद, ने पिछली बैठक दिनांक 3-10-89 में उठाये गये अपने संशोधन को पुनः उठाया, जिसमें सभी सदस्यों ने समर्थन किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी निर्वाचित सभासदों के कार्यक्षेत्र में सभासदों के निर्देशन में ही एक एक दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी तैनात किया जायेगा, जिसकी उपस्थिति सभासद के निवास स्थान से सम्बन्धित वार्ड में होगी और सम्बन्धित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (स्वच्छकार) सभासद द्वारा निर्देशित स्थानों पर दैनिक सफाई करेंगें। सफाई नायक एवं सफाई निरीक्षक सभासद के वार्ड में तैनात स्वच्छकार कर्मचारी का नाम सभासद को बतायेंगें और सम्बन्धित सफाई कर्मचारी की मजदूरी सभासदों के सत्यापन के बाद ही भुगतान की जायेगी। इसी तारतम्य में आगे यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में बिना बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त किये हुये, स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा और इस सम्बन्ध में यदि कोई भुगतान किया जायेगा तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की होगी।

इसी मद में श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद ने बताया कि इस समय कूड़ा गाड़ियों से कूड़ा उठाने का कार्य ट्रान्सपोर्ट जमादार एवं सफाई निरीक्षक के निर्देशन में होता है लेकिन तीनों ट्रान्सपोर्ट के जमादार किसी न किसी वार्ड के जमादार हैं इस प्रकार उनको दोहरा कार्य करना पड़ता है और वह न तो अपने वार्ड में सही कार्य कर पाता है और न ही कूड़े के ढेर उठवाये जाने में सफल होते हैं। अतः ट्रान्सपोर्ट जमादार का कार्य अलग किया जाय। श्री विद्यासागर सोनकर ने यह भी बताया कि मरे हुये जानवरों को उठाने की व्यवस्था न होने के कारण कभी-कभी सड़कों पर दो-तीन दिन तक मरे हुये कुत्ते, बिल्ली पड़े रहते हैं इसके लिये आवश्यक है कि तीनों क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार एक एक कर्मचारी बने रहें जो मरे हुये जानवरों को उठा सके। तदनुसार दिनांक 1.11.89 से 31.12.89 तक की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 1.1.90 से दिनांक 31.1.90 तक चालू अवधि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. परिषद प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 3-10-89 से 9 हैक्टर सफाई कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखने की स्वीकृत अवधि को 1.11.89 से 31.1.90 तक बढ़ाये जाने की स्वास्थ्य-विभागीय आख्या अधिप्राप्ति।

उपरोक्तानुसार 1.11.89 से 31.12.89 तक की कार्योत्तर स्वीकृति एवं 1.1.90 से 31.1.90 तक चालू अवधि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

	अधिकारी / अध्यक्ष की - क्रमशः 2.11.89 व 3.11.89 को दी संस्तुतियों के साथ परिषद विचारार्थ -	
10.	परिषद प्रस्ताव सं० 8 दिनांक 3.10.89 से पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखे गये उपयुक्त आपरेटरों का कार्यकाल 1.11.89 से 31.1.90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष की क्रमशः 15.11.89 व 16.11.89 की संस्तुतियों के साथ परिषद विचारार्थ।	उपरोक्तानुसार 1.11.89 से 31.12.89 तक की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 1.1.90 से 31.1.90 तक चालू अवधि की स्वीकृति दी गयी।
11.	परिषद प्रस्ताव सं० 9 दिनांक 3.10.89 से पालिका पाइप लाइनों के रख रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखे गये 6 बेलदारों का कार्यकाल 1.11.89 से 31.1.90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष की क्रमशः 15.11.89 व 16.11.89 की संस्तुतियों के साथ परिषद विचारार्थ।	उपरोक्तानुसार 1.11.89 से 31.12.89 तक की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 1.1.90 से 31.1.90 तक चालू अवधि की स्वीकृति दी गयी।
12.	पालिका कर निर्धारण सूची में नामांकन हेतु परिषद प्रस्ताव सं० 9 दिनांक 31.8.89 में स्वीकृत रु 20/- (बीस) पंजीकरण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पर कार्यालय आख्या दिनांक	इस प्रकरण पर विचार किया गया। सभी सभासदों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किये। कुछ सभासदों ने 20/- की प्रस्तावित धनराशि को अधिक बताया। अन्त में सर्व सम्मति

प्रस्ताव संख्या 15 दिनांक 8-1-90

साधारण सड़क अनुदान 1989-90 से प्राप्त अनुदान 14-5 लाख से होने वाली निविदा व

कार्य का नाम	स्वीकृत आकलन	न्यूनतम निविदा दाता	न्यूनतम निविदा दर	प्राप्त कैद निविदाओं की संख्या
2-	3-	4-	5-	7-
मो0बाजिदपुर में दक्षिणी में श्री तालिग गुप्ता के मकान से श्री नाथ के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	रू035,193=00	श्री कामलेश कुमार गुप्ता	रू031,?4=63	6 अदद
बाजिदपुर में श्री राजाराम के मकान से श्री राधेश्याम मौर्य के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण।	14,116=00	श्री राम बहाल	12,59?=31	5 "
मियापुर में श्री रूस्तम के मकान से मियांपुर रोड तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	11,827=00	श्री खरपत्तु राम	10,052=95	5 "
मियांपुर में श्री जियाउद्दीन के मकान से मस्जिद तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	7,849=00	लालजी यादव एण्ड कं0	7,207=55	1 "
मियांपुर में श्री सुदीन के मकान से श्री बेचूराम के मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	5,076=00	श्री खरपत्तुराम	4,213=0?	3 "
मियांपुर में श्री लखराज के मकान से मस्जिद तक नाली एवं क्रासनाली की मरम्मत करना।	17,794=00	अजय कुमार एण्ड कंम्पनी	16,173=3?	1 "
मियांपुर में श्री रूस्तम के मकान से मियांपुर रोड तक सोलिंग निमार्ण।	6,388=00	श्री फूलचन्द्र	5,749=20	3 "
हुसैनाबाद में श्री देवी यादव के मकान से श्री बी0 पी0आर्य भदेशर तक सोलिंग एवंनाली निमार्ण।	25,252=00	श्री [illegible]		

8.190

2-	3-	4-	5-	6-	7-
आलोनी में श्रीपाठक के मकान से श्री यादव के नालय तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	रू021,128=00	श्री नागेन्द्र नाथ सिंह	19,015=20	4 अदद	
आलोनी में सफाई आफिस के पास तथा ट्यूबेल नी के पास श्री गौरी शंकर के मकान के पास की मरम्मत करना ।	2,332=00	श्री विजय बहादुर यादव	2,377=74	1 "	
स्टेशन के पास श्री बृजेश यादव के मकान से की बाउन्ड्री तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	13,525=00	श्री राम आधार यादव	13,524=07	1 "	
र में स्वार्ट ट्रैक्टर एजेन्सी के पीछे श्री वंशराज मकान से सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	7,353=00	श्री राज कुमार	7,615=04	3 "	
पुर में श्री खरपत्तु के मकान से ओलन्दगंज रोड सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	32,210=00	श्री खरपत्तुराम	20,632=63	2 "	
बजाज में विभिन्न स्थानों पर फर्श एवं नाली मार्ण एवं मरम्मत ।	13,536=65	" राम बहाल	14,213=48	1 "	
घाट में श्री कामता लाल से मजार तक सड़क ऊचीं ना ।	6,806=00	" अमिताभ कुमार सिंह	6,808=00	2 "	
घाट में श्री कामता लाल से श्री नसीर के मकान तक एवं नाली निमार्ण ।	4,140=35	" खरपत्तुराम	3,395=08	3 "	
ी शहर पड़ाव पर पहुटा होटल से पड़ाव तक नाली मार्ण ।	11,883=53	" राम बहल	12,477=70	1 "	
जहांगीराबाद में श्री रामचन्दर के मकान से श्री नाथ के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	34,720=12	लालजी यादव एण्ड कम्पनी	33,331=32	2 "	
ी शहर पड़ाव पर ईदगाह के पास सोलिंग एवं ली निमार्ण ।	6,497=61	श्री राम बहाल	6,757=51	1 "	
में श्री हैदर रजा के मकान के सामने क्रास नाली मार्ण ।	3,152=97	श्री राम बहाल	3,247=55	1 "	
पुर हाउसिंग स्कीम के बगल के रास्ते पर क्रास नाली मार्ण ।	2,714=50	आर0एन0एण्ड कम्पनी	2,713=15	2 "	

8.120

2-	3-	4-	5-	6-	7-
...पुर पड़ाव के पास कान्वेन्ट स्कूल जाने वाली सड़क ...ास नाली निमार्ण ।	रू0 2,714=50	~~...~~ श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता	~~2,809=50~~ 2,809=50	2	अदत
...मुहल्ला में श्री गयाप्रसाद श्रीवास्तव के मकान से ...ालता मास्टर के मकान तक सोलिंग निमार्ण ।	6,891=31	श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता	6,890=63	3	"
...ाली कुत्ती में श्री कृष्ण कुमार सेठ ~~...~~ के ...न से श्री राम सिंह के मकान तक सोलिंग एवं नाली ...ार्ण ।	19,648=56	श्री हीरा लाल	19,452=09	2	"
...काली कुत्ती में श्री नन्हकू यादव के मकान से श्री ...रंजन के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	18,977=65	"राम अधार	16,510=55	3	"
...ानत पुर में श्री रामनाथ मौर्या के मकान से श्री ...ा लाल के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	8,665=60	"राम बहाल	7,972=36	2	"
...रा में श्री गंगाराम के मकान से श्री हनीफ के मकान ...सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	13,356=82	"फूलचन्द	12,268=28	3	"
...रा में श्री दलसिंगार के मकान से श्री रहमत के मकान ...सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	24,513=82	लालजी यादव एण्ड कम्पनी	22,055=09	4	"
...रा में श्री निसार के मकान से करबला के सामने तक ...ी निमार्ण ।	13,954=68	श्री सत्य प्रकाश	13,955=00	2	"
...शेख मोहामिद में श्री आबिदहुसैन के मकान से श्री ...राज के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	23,968=53	"नागेन्द्र नाथ सिंह	21,691=52	3	"
...ताड़तला में श्री हासिम के मकान से श्री हाजी ...तार के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	11,269=22	"सत्य प्रकाश	11,224=15	2	"
...ताड़तला में श्री गंगा के मकान से श्री गोपाल ...मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	16,285=28	"सुल्तान अहमद	16,285=28	2	"
...ताड़तला में श्री इकबाल के मकान से श्री केशर के ...ान तक फर्श एवं नाली निमार्ण ।	9,760=65	"सत्य प्रकाश	10,151=07	2	"
...अमीरमस्त में श्री हाजी महबूब के मकान से श्री ...ी महबूब के मकान तक फर्श निमार्ण ।	19,416=04	विजय कान्स्ट्रक्सन कम्पनी	16,699=52	4	"

8------98

2-	3-	4-
रमत्त में श्री मोहसिन के मकान से श्री मजहर के मकान एवं नाली निमार्ण ।	रू0 7,883=97	श्री इस्लामुद्दीन
रमत्त में श्री बेचू हरिजन के मकान से श्री मसूद के मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण ।	15,638=60	"नागेन्द्र नाथ सिंह
त में मल्हनी रोड से श्री मेंहदी हसन के मकान तक मार्ण ।	10,108=06	"सुल्तान अहमद
बा में श्री बिहारी लाल के मकान से श्री राजाराम न तक नाली सोलिंग निमार्ण ।	8,026=60	"सत्य प्रकाश
नदरीबा में श्री नन्दलाल के मकान से श्री राजकुमार न तक फर्श एवं नाली निमार्ण ।	5,688=10	"विजय बहादुर यादव
पुर में श्री गोविन्द के मकान से श्री अन्तूराम के तक नाली निमार्ण ।	22,672=25	"सत्य प्रकाश
पुर में श्री अन्तूराम के मकान से नदी जाने वाले रास्ते लिंग एवं नाली निमाण ।	11,457=38	" सत्य प्रकाश
दअलीपुर में श्री राजेन्द्र के मकान तक नाली निमार्ण ।	2,729=15	"रूद्र प्रताप सिंह
खपुर में श्री दलजीत के मकान से श्री मानिक के मकान र श्री बीरेन्द्र के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	24,970=34	"अजय प्रकाश सिंह
खपुर में श्री अनूप के ट्यूबेल के पास सोलिंग एवं नाली ~~निमार्ण~~ ।	13,954=65	"अजय प्रकाश सिंह
दून शाह बड़े में सोलिंग निमार्ण ।	5,770=56	"राज कुमार
म गंज में सोलिंग निमार्ण ।	5,770=56	"इस्लामुद्दीन
जन में मल्हनी रोड से श्री मन्जूर अहमद के मकान तक निमार्ण ।	109,751=33	"कमलेश कुमार गुप्ता
तानपुर में श्री सुरेश चन्द मौर्या के मकान से श्री राम के मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण ।	4,068=46	"रूद्र प्रताप सिंह
तानपुर में श्री ओमप्रकाश के मकान से शाहगंज रोड र्श एवं नाली निमाण ।	11,673=18	"दीप चन्द्र

8120

2-	3-		4-	55	6-
ोंपुर में श्रीराम यादव के मकान से आबाद जूनियर हाई नाली निर्माण।	रू017,946=90	श्री दीप चन्द्र	17,946=90	1	अदत
ोंपुर में श्रीनूर अली मकान से सीता साव के बाड़ा नाली निर्माण।	6,618=29	"दीप चन्द्र	6,618=29	1	"
सनपुर में श्री आधार के मकान से पुलिया तक नाली।	5,465=86	"अजय प्रकाश सिंह	5,438=53	3	"
नपुर में श्रीरमेश चन्द्र खरवार के मकान के पास फर्श निर्माण।	5,720=12	"शमशुलहक	5,720=12	2	"
नपुर में कृलिंग निर्माण।	6,294=52	"शमशुलहक	6,294=52	2	"
ौच टोला में श्री मोहम्मद सलीम के मकान से श्री सहवान के क नाली निर्माण।	6,223=45	"शमशुलहक	6,223=45	2	"
ौच टोला में श्री झगड़ू के मकान से केवटानें तक फर्श एवं निर्माण।	22,734=74	" खरपत्तू राम	23,189=43	1	"
ौच टोला में प्राइमरी स्कूल से फूलू के मकानतक निर्माण।	6,310=25	"राज कुमार	6,310=25	4	"
मण्डल में डा०रस्तोगी के बगल में फर्श एवं क्रास नाली।	2,484=72	"शशि बिन्दु कुमार सिं०	2,484=72	2	"
ाघाट में श्री बिन्दू केमकान के पास सोलिंग निर्माण।	3,780=00	"शशि बिन्दु कुमार सिं०	3,780=00	2	"
ार अली में श्री दयाशंकर के मकान के पास सोलिंग करना।	6,465=00	"तुलसी राम	~~10=576=21~~ 6,465=00	1	"
प्यार अली में श्री ~~रघुशंकर~~ रघुनन्दन के मकान से श्री ाम के मकान तक सोलिंग निर्माण।	12,576=21	"तुलसी राम	12,576=21	1	"
मण्डल में श्री अशोक कुमार के मकान से श्री दिनेश तक सोलिंग निर्माण।	6,133=18	" शमशुल हक	6,409=17	2	"
ाघाट में श्री शंकर के मकानसे घाट तक फर्श एवं नाली।	5,044=50	" अभय राज	5,041=98	2	"

६----------६६

2-	3-		5-	6-
...ख में अजय गढ़ रोड से नई पुलिया के पास क्रासिगं	रु0 1,480=00	श्री अभय ...	1,479=26	2 अवसर
...गट में श्री शफीउद्दीन के मकान से श्री महताब ...क फर्श एवं नाली निमार्ण।	3,855=75	" इस्लामुद्दीन	3,855=75	2 "
...गट में श्री राज नरायन के मकान से श्री रघुबर ...क सोलिंग एवं नाली निमार्ण।	12,928=75	" राजेन्द्रप्रताप सिंह	13,562=26	2 "
...ी टोला में श्री बैजू साव के मकान से मैनहोल तक ...ं नाली निमार्ण।	7,281=43	" कृष्ण चन्द्र गुप्ता	7,575=60	3 "
...ंज में नागेश्वर नाथ मन्दिर से श्री राम सेवक ...क फर्श एवं नाली निमार्ण।	5,469=38	" राज कुमार	5,469=38	4 "
...ी टोला में श्रीसाहब लाल के मकान से गढही तक ...ली निमार्ण।	13,023=29	" अमिताभकुमार सिंह	13,023=29	2 "
...ंज में श्री हरिशंकर के मकान से श्रीमति सरलादेवी के ...सोलिंग एवं नाली निमार्ण।	5,708=72	" विजय कन्स्ट्रक्सन कं0	5,994=15	2 "
...ंज में श्रीमति रानी धन्देई कुँअर मार्ग से श्री बीरेन्द्र ...ह के मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	19,596=90	" राम आर	19,596=90	2 "
...ई रोड से श्री बाबूराम के मकान से श्री जौहरी ...कान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	8,001=01	" रूद्र प्रताप सिंह	8,001=01	2 "
...ा उमर खां में श्री राधेश्याम दूबे वकील के मकान से ...े मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	7,930=24	आर0एस0 एण्ड कंम्पनी	7,926=03	2 "
...डा0 शर्मा के मकान के पास नाली निमार्ण।	9,257=40	श्री विजय बहादुर यादव	9,442=55	2 "
... में गिरजा निवास के पास सोलिंग निमार्ण।	12,257=52	" विजय बहादुर यादव	12,563=96	2 "
...या उमर खां में श्री राम लखन विश्वकर्मा के मकान ...व नाली निमार्ण।	6,152=05	" राम आर	6,152=05	1 "
...खां में श्री कंचन सेठ के मकान से हैण्ड पाइप तक फर्श एवं नाली ...मार्ण।	7,258=37	" खरपत्तू राम	7,258=37	1 "
...बाद में श्री मुस्ताक अहमद के मकान सेश्री शिराद ...मकान तक फर्श एवं नाली निमार्ण।	15,019=03	" अभयराज यादव	15,011=52	2 "

8------

8.180

2	3	4	5	6	7
लाबाद में श्री तुफैल अहमद के मकान से श्री लक्ष्मी कान तक फर्श एवं नाली निर्माण	6410=75	श्री कृष्ण चन्द गुप्ता	5408=83	तीन अदद	
र में पुलिया से मटरू के मकान तक फर्श एवं नाली	4891=45	श्री हीरालाल	5067=11	दो अदद	
में श्री विश्वनाथ के मकान से श्री चरित्रसेठ के र्श एवं नाली निर्माण	17643=76	श्री रूद्र प्रताप सिंह	17643=76	दो अदद	
में हरिजन बस्ती में श्री लाल बहादुर के मकान स्ट तक फर्श एवं नाली निर्माण -	5004=72	श्री कृष्ण चन्द्र गुप्ता	5003=72	दो अदद	
में कजियाने रोड से बाढू के मकान तक सोलिंग निर्माण-	18773=67	श्री हीरालाल	19524=82	दो अदद	
में कजियाना से श्री विजय पंडित के मकान तक र्माण -	2865=95	श्री अभिताभकुमार सिंह	2865=95	दो अदद	
में कोहरौटी से नाली निर्माण -	22143=68	श्रीराजेन्द्रप्रताप सिंह	23240=00	दो अदद	
तिपाह में श्री अब्दुल गफ्फार के मकान से मस्जिद एवं नाली निर्माण-	6922=95	श्री ,, ,,	7339=10	दो अदद	
ललाने में श्री कैलाश के माकान के पास नाली नि०	3871=25	श्रीरोहित कन०वर्क्स	3871=25	एकदद्दे अदद	
तबीखाँ में श्री महबूबसाहब की चूने की भट्टी से श्री मकान तक फर्श एवं नाली निर्माण-	17854=25	श्री राजकुमार	17854=25	तीन अदद	
खाँ मण्डी में श्री एस०पी०चन्द के मकान से श्री छंगू क फर्श निर्माण-	12864=07	श्री खरपत्तूराम	13121=85	तीन अदद	
नसीब खाँ में श्री बच्चा तोतेवाले के मकान से श्री के मकान तक सोलिंग निर्माण-	6048=00	आर•एन• एण्ड कम्परी	6044=98	तीन अदद	
में मालगोदाम रोड से श्री मौलाना केमकान तक र्माण-	12008=06	रोहित कन्स०वर्क्स	12008=06	एक अदद	
बखामण्डी में श्री प्यारेधोबी के मकान के सामने निर्माण-	4927=21	,, ,, ,,	4927=21	एक अदद	

क्रमशः-

2	3	4	5	6	7
वाली चौराहे के पास तिराहे पर सोलिंग व नाली व हनुमान दर के सामने सड़क सुधार	26527=57	सुबास सतीस एण्ड ब्रदर्स	27323=39	तीन अदद	
उर्दू में सरस्वती शिशु मन्दिर के सामने सोलिंग एवं नाली निर्माण	2514=89	श्रीराम	2514=89	एक अदद	
मोहल्ला उमरखाँ में खान टिम्बर के पास श्री बाबूमियाँ के दुकान से या तक नाला निर्माण -	6720=58	विजय कन्सट्रक्शन कम्पनी	6720=58	दो अदद	
मियाँपुर में श्री मुरलीधर उपाध्याय के मकान से श्री पी०एन० सिंह कान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण -	53695=50	लालजी यादव एण्ड कम्पनी	51200=72	चार अदद	
वाजिदपुर में आँख अस्पताल के पीछे डा० वर्मा के मकान से श्री म के मकान तक नाली निर्माण -	20645=60	श्री रामबहाल यादव	20804=71	दो अदद	
बाद में टी०डी० कालेज रोड से टी०डी० गर्ल्स इण्टर कालेज रोड सोलिंग एवं नाली निर्माण -	29112=22	श्री राम बहाल	28879=33	दो अदद	
जोगियापुर में नोवा नर्सिंग होम से श्री जोखई मिस्त्री के माकान क निर्माण-	31341=51	श्री अरविन्द कुमार सिंह	26013=46	चार अदद	
पालिका आफिस के सामने रोड व रेलिंग निर्माण-	22103=51	श्रीराम	22937=55	एक अदद	
टोला में श्री मौलाना जफर के मकान से प० नदरीबा रोड तक वं नाली निर्माण -	15641=25	विजय कन्सट्रक्शन कम्पनी	15641=25	दो अदद	
न पुँगी के बगल से रुकुनपुर गाँव के तरफ जाने वाली सड़क पर ग एवं नाली निर्माण	19595=25	श्री रामसधार यादव	19595=25	तीन अदद	

नगर अभियन्ता
सिटी बोर्ड जौनपुर

अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर

अध्यक्ष
सिटी बोर्ड जौनपुर

	30-10-89 एवं अधिशासी-अधिकारी / अध्यक्ष की उसी दिन की संस्तुतियों कि "समाचार पत्र तरुणमित्र दिनांक 29-9-89 में प्रकाशन के पश्चात प्रस्तावित शुल्क वृद्धि पर निर्धारित अवधि में कोई नागरिक आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है परिषद विचारार्थ एवं विशेष संकल्प के रूप में स्वीकार्य प्रस्तुत।	से पर निर्णय लिया गया कि 20/- के स्थान पर 10/- दस रुपया कर दिया जाय।
13.	सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1989-90 का संशोधित आय-व्यय मय संलग्नकों और व्याख्यात्मक आख्या (कमेन्ट्री रिपोर्ट) परिषद-विचारार्थ एवं स्वीकृत हेतु	दिनांक 20-1-90 की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
14.	सिटी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह सितम्बर, अक्टूबर और - नवम्बर 89 तक की मासिक आय-व्यय विवरण पत्रादि - परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ।	दिनांक 20-1-90 की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
15.	सिटी-बोर्ड जौनपुर के प्रस्ताव सं0 8 दिनांक 31-8-89 में शासनादेश सं0 2701 ए/9-1-89-503 सा0 स0 अनु0/89 दिनांक 26-7-89 से प्राप्त सड़क अनुदान धनराशि रु 14.50 लाख से पालिका के विभिन्न वार्डों में	102 निर्माण कार्यों की निविदाओं पर विचार किया गया। अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि 33 निर्माण कार्यों पर तीन या तीन से अधिक निविदायें प्राप्त हुयी हैं। 48 निर्माण कार्यों के लिए 2-2 निविदायें प्राप्त हुयी हैं तथा 21 निर्माण कार्यों के

8.1.90

106 निर्माण कार्यों के स्वीकृत आकलन के आधार पर 102 निर्माण कार्यों के लिये प्राप्त निविदाओं की सूची, उसमें अंकित न्यूनतम निविदा दाता और उनकी निविदा की न्यूनतम धनराशि को स्वीकार करने की अधिशासी अधिकारी। अध्यक्ष की दी स्तुतियां के साथ परिषद स्वीकृति हेतु- और शेष चार निर्माण कार्यों पर निविदा आमंत्रण की प्रगति शील कार्यवाई आख्या सूचनार्थ।

लिये केवल एक निविदा प्राप्त हुयी है। श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मो० सलीम, डा० श्री सुनील श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि एक मात्र निविदा वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से उचित होगी कि नहीं, इस पर जरूर विचार किया जाय। जिन निर्माण कार्यों के लिये दो निविदायें प्राप्त हुयी हैं, यदि वह निविदायें आकलन से बराबर या आकलन से कम दर पर है तो उन्हे स्वीकृत किया जा सकता है। एक निविदा वाले निर्माण कार्यों पर भी विचार विमर्श हुआ और सर्व श्री मेंहदीहसन, नरेन्द्र बहादुर सिं० सभासदों ने बताया कि बोर्ड के पहले भी एक निविदा वाले कार्य स्वीकृत किये गयें है। इस पर अधिशासी-अधिकारी ने यह बताया कि सामान्य तीन निविदा होना आवश्यक है। जहाँ तक बोर्ड के पहले एक निविदा वाले निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, उस समय जिला-धिकारी में ही बोर्ड के अधिकार क्षेत्र निहित थे। ऐसी दशा में यह स्वीकृति देने के लिए सक्षम थे। अब बोर्ड और जिलाधिकारी के कार्यक्षेत्र अलग अलग है, ऐसी दशा में इसे दृष्टान्त बनाया जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि

यदि जिलाधिकारी के स्तर पर उपरोक्त निविदायें वापस की जाती हैं तो काफी समय लग जायेगा। अन्त में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सं0 102 (एकसौदो) निविदायें प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी को भेजी जाय।

निर्माण कार्यों की गुणता एवं दरों के बारे में श्री विद्यासागर सोनकर, सभासद द्वारा कई बिन्दु उठाये गये जिस पर उन्हें यथावश्यक जानकारी दी गयी। इसी क्रम में सभासद श्री अतासरजा ने - निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणता का प्रश्न उठाया और निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणता की ओर ध्यान इंगित किया। सभासद ने यह भी बताया कि कभी भी सभासदों को यह जानकारी नहीं दी जाती है कि उनके वार्ड में कहाँ और किस प्रकार के कार्य होते हैं। कार्य काफी लम्बे समय तक चलते रहते हैं और निर्धारित अवधि तक पूरे नहीं होते, इसके लिये भी विलम्ब करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाय। निम्न स्तर का कार्य करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि भविष्य में निर्माण कार्यों का भुगतान सम्बन्धित वार्ड के सभासद की सहमति से किया जायेगा। सम्बन्धित अवर अभियन्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्माण कार्य प्रारम्भ होने पर

		सम्बन्धित वार्ड के सभासद को इसकी जानकारी दें, ताकि सभासद समय समय पर निर्माण कार्य को स्वयं देख सकें और उसमें किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सूचित कर सकें।
16.	सिटी-वार्ड जौनपुर के सभासद श्री कैलाशनाथ मौर्य का निम्नांकित प्रस्ताव, जिसका समर्थन सर्वश्री बाबूलालगुप्त और मेंहदी हसन, सभासद ने किया है, बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत :- "मुहल्ला प्रेमराजपुर के निवासियों को पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मुख्तारकीवा से प्रेमराजपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित श्री मेवालाल धोबी के मकान से आगे सड़क की ऊँचाई की जमीन को खुदाई करके 100 मीटर नई 6" की प्लास्टिक की पाइप लाइन बिछवाने की कृपा की जाय।"	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलकल-समिति के माध्यम से प्रस्तुत हो।
17.	पालिका में बड़े करों, किरायों और शुल्कों के बकायों की वसूली का अभियान संचालन हेतु नगर विकास विभाग से प्राप्त शासकीय रेडियोग्राम सं० 5120बी/11-9-89-355 (जी)/	इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी ने शासन के रेडियोग्राम के अनुसार चलाये जा रहे विशेष वसूली अभियान की जानकारी दी तथा विभिन्न करों की वसूली में आने-

Scanned with OKEN Scanner

89 दिनांक 22.12.89 जिलाधिकारी जौनपुर कार्यालय पृष्ठांकन सं० 243/एल०बी०सी०, दिनांक 26-12-89 और पालिका अध्यक्ष द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं० 972/दस वसूली अभियान (प्रथम)/89-90 दिनांक 26.12.89 सम्बन्धी पत्रादि परिषद सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वालों समस्याओं एवं वसूली कार्यवाही से सम्बन्धित अन्य जानकारियाँ दी। वसूली अभियान की प्रगति आख्या भी कर अधीक्षक ने बताया।

18. सिटी-बोर्ड, जौनपुर के खाद्य- एवं सफाई निरीक्षक श्री कामेश्वर नाथ मिश्र के खिलाफ पालिका कर्मचारियों और सभासदगण की शिकायती आख्याओं पर जांच आख्या प्रस्तुत करने के लिये वरिष्ठ नगर-स्वास्थ्य अधिकारी, सिटी-बोर्ड-जौनपुर का अनुरोध पत्र कि उन्हें एक माह की अवधि उक्त आख्या प्रस्तुत करने हेतु बढ़ाने की कृपा की जाय. परिषद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ।

इस सम्बन्ध में सर्व श्री अनवर जमा, रमजान खां, राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीमती आर्य, अ० सुशील श्रीवास्तव, विद्यासागर सोनकर, मो० सलीम सभासद ने विरोध प्रकट करते हुये कहा कि 3.10.89 को बैठक में अध्यक्ष ने सभासदों को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अन्दर जांच कार्यवाही सम्पन्न करके, कार्यवाही कर दी जायेगी परन्तु वह निर्णय दिये जाने के लिये तीन माह से अधिक का समय बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी और अब सदस्यों के समक्ष पुनः एक माह का समय बढ़ाने का मांगपत्र रखा गया है। यह सदस्यों की खुली अवमानना है। यह भी निश्चय नहीं है कि कार्यवाहक वरिष्ठ नगर-स्वास्थ्य अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करेंगे जबकि इन्चार्ज वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी होते हुए भी वह शायद ही नगर-पालिका आते हों जो अधिकारी सफाई कर्मचारियों से, सफाई विभाग से और नगर-पालिका से इतना

Q.1.90

परहेज करता है वह सफाई कर्मचारी के प्रकरण में निष्पक्ष जाँच कर पायेगा, इस पर संदेह है तीन माह का विलम्ब इसकी और पुष्टि करता है। इस सम्बन्ध में सदस्यों ने मांग की कि अन्य मदों के लिये सदस्यों की कई समितियां बनायी गयी हैं, इसके लिये भी उपा 5 सदस्यों की एक समिति बनायी जाय और वह समिति जाँच कर 15 दिन के अन्दर अपनी आख्या दे। चूँकि नगर-स्वास्थ्य अधिकारी की जाँच से कोई प्रभावकारी निर्णय हो पाना सम्भव नहीं लगता क्योंकि वह अपनी आख्या सीधे अध्यक्ष को देंगे जबकि शिकायत सदस्यों ने की है। ऐसी दशा में भी जाँच आख्या प्राप्त हो तो वह सीधे सदन में प्रस्तुत की जानी चाहिये और यही नियम है। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि वह स्वयं प्रयास करेंगे कि इस प्रकरण में विलम्ब न हो।

इसी मद में सर्वश्री नजीर हुसैन, रमजान खां, दयाशंकर, विद्यासागर सोनकर, डा० सुनील श्रीवास्तव ने सम्बन्धित सफाई निरीक्षक द्वारा सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने की बात उठायी। सभासदों ने तीनों क्षेत्रों में दैनिक वेतन भोगी सफाई

कर्मचारियों के वेतन न भुगतान करने के लिये भी सम्बन्धित सफाई निरीक्षक को दोषी ठहराया और उस पर कार्यवाही की मांग की, जिस पर अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन जल्दी ही भुगतान कर दिया जायेगा। अंत में निर्णय लिया गया कि 30-1-90 तक का समय दिया जाता है इसके आगे कोई समय नहीं दिया जायेगा। जाँच अधिकारी अपनी जांच आख्या दिनांक 31.1.90 को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सिटी बोर्ड जौनपुर की दिनांक 8.1.90 को अपराह्न 2.30 बजे पालिका कार्यालय भवन टाउन हाल में आयोजित छठवीं बैठक की पूरक कार्य सामग्री, पालिका अध्यक्ष की स्वीकृति से

1. सिटी-बोर्ड जौनपुर के सभासद श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह का 7.1.90 का निम्नांकित प्रस्ताव, जिसका समर्थन सर्वश्री सै० मेंहदी हसन व कैलाश नाथ मौर्य, सभासदगण ने किया, परिषद विचारार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत- "स्थानीय दैनिक समाचार पत्र "मान्यवर" दिनांक 7.1.90 में शीर्षक "लगातार बदतर होती जा रही है नगर पालिका की स्थिति" के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार से प्रमाणित है कि सिटी-बोर्ड	अधिशासी-अधिकारी द्वारा प्रस्ताव पढ़ा गया इस पर सर्वप्रथम श्री अनवर अजीज, सभासद ने वस्तुस्थिति जाननी चाही जिस पर अधिशासी-अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अभी तक उन्होंने भेंट वार्ता से सम्बन्धित समाचार पत्र ही नहीं देखा कि कब, किससे कहाँ भेंटवार्ता की, ऐसी दशा में इस प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकते, इस पर अध्यक्ष की ओर से समाचार पत्र निकाल कर स्वयं पढ़ा गया और प्रस्ताव में अंकित रेगुलर अध्यक्ष -

जौनपुर के वर्तमान अधिशासी
अधिकारी श्री राम गणेश त्रिपाठी
शासन द्वारा घोषित म्युनिसपल
सर्विस रूल्स कंडक्ट रेगुलेशन
के प्राविधानों का उल्लंघन कर
इस बोर्ड को हर तरह से
गिराने एवं बदनाम करने के
लिये मिथ्या प्रचार कर रहे हैं।
अतः प्रस्तावित किया जाता है
कि श्री त्रिपाठी के इस
अनियमित अमर्यादित एवं
निरंकुश मिथ्याचारों पर उनकी
निंदा का प्रस्ताव पारित
किया जाय और उनके
खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक
कार्यवाही करने एवं पालिका
से अविलम्ब स्थानान्तरित
करने हेतु शासन को लिख
दिया जाय।

द्वारा डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवा
सभासद को उपलब्ध कराये गये
जिसे इन्होंने पढ़ा और सदस्यों
को उसका मन्तव्य अवगत
कराया इस पर कई सदस्यों
ने अपना मत व्यक्त किया
कि जब तक भेंट वार्ता की
पुष्टि नहीं हो पाती और
तथाकथित भेंट वार्ता में प्रमाणों
आँकड़ों से समन्वित अभिलेख
सम्बन्धित भेंट वार्ता करने वाले
संवाददाता से उपलब्ध
कराये जाने का प्रमाण नहीं मिलता
तब तक इस प्रकरण में
निर्णय नहीं लिया जा सकता।
इस पर अधिशासी अधिकारी
ने यह सुझाव स्वयं दिया कि
उचित होगा कि उपरोक्त
प्रस्तावक प्रस्ताव को
करने वाले सभासद इस
सम्बन्ध में पुष्टि करें इस
पर सदस्यों ने और भी
विचार किये लेकिन सर्व
श्री अनसारजा(?), रमजान अली
श्रीमताब आये(?), डा० सुनील
श्रीवास्तव, मो० सलीम ने
विचार व्यक्त किया कि
उचित होगा कि अध्यक्ष
स्वयं इस भेंट वार्ता या
अधिशासी अधिकारी द्वारा
अभिलेख उपलब्ध कराने की

	पुष्टि एवं समाचार पत्र से कोई बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार के प्रस्ताव पर कार्यवाही किया जाना या विचार किया जाना सम्भव नहीं है।
2. पानदरीबा रोड के निर्माण कार्य के स्वीकृत ठेकेदार श्री हुसैन अब्बास का 5.12.89 का आवेदनपत्र तथा अधिशासी-अधिकारी, सिटी-बोर्ड जौनपुर को प्रेषित पालिका अध्यक्ष का आदेश सं० 994/निर्माण अनियमित कटौती (पानदरीबा रोड) दिनांक 1.1.90 को उक्त ठेकेदार के तृतीय रनिंग बिल पर दि० 7.10.89 के सक्षम अभियन्ता के सन्तोषजनक कार्य-सम्पादन प्रमाण पत्र के विपरीत पारित करते दि० 27.10.89 के अनियमित एवं अधिकारहीन आदेश से अधिशासी-अधिकारी ने उक्त रनिंग बिल की धनराशि में से रु. 7966.75 पैसे की कटौती करने का मनमानी और प्राविधानहीन कार्य किया है, जिसका भुगतान करने और ठेकेदार का उत्पीड़न समाप्त करने हेतु परिषद के आदेशार्थ प्रस्तुत।	पानदरीबा रोड निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को पढ़ने के बाद अधिशासी-अधिकारी से जब वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया तो उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव ही अवैध एवं अनियमित है क्योंकि सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न और प्रस्ताव ही रखे जा सकते हैं, कोई बाहरी प्रश्न या प्रस्ताव नहीं रखवाया जा सकता। अधिशासी-अधिकारी ने यह भी बताया कि प्रस्ताव में अंकित अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड के पत्र का उत्तर भी तत्काल ही प्रेषित कर दिया गया था, की कटौती नियमानुसार ही की गयी है। बाद में समाचार पत्र की अन्तःसज्जा सम्पादित द्वारा यह बिन्दु उठाये जाने पर कि चालू बिल से कटौती नहीं की जा सकती है, तो स्पष्ट करते हुये अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि यह कटौती अंतिम कटौती नहीं है अपितु अन्तरिम कटौती है और इस कटौती के साथ ठेकेदार को यह नोटिस भी दी गयी है कि वह सड़क का वह भाग जो निम्न-स्तर का है, उसे 15 दिन के भीतर

8.1.90

ठीक कर दें। ठेकेदार द्वारा
अनुपालन न किये जाने पर
दूसरी नोटिस भी जारी की
गयी लेकिन ठेकेदार ने सड़क
निर्माण कार्य ठीक नहीं किया।
अधिशासी-अधिकारी ने इस
बिन्दु को भी स्पष्ट किया कि
उपरोक्त बिल अन्तिम बिल के
रूप में प्राप्त हुआ था जिसे
देखने के बाद ही कमेटी ने
निर्णय करके उपरोक्त अन्तिम
बिल को चालू बिल बनाकर
ठेकेदार को भुगतान भी
किया गया है। सदन में यह
भी स्पष्ट किया गया कि
नियमानुसार ठेकेदार को
पात्रतापत्र सम्बन्धित अवर-
अभियन्ता को भेजा जाता
और अवर अभियन्ता पत्रावली
सहित अपनी आख्या उचित-
माध्यम से प्रेषित करते तब
सक्षम अधिकारी द्वारा इस
प्रकरण को बोर्ड के पटल
पर रखे जाने का संदर्भ नियम
एवं वैधानिक होता लेकिन ऐसा
नहीं किया गया है। इस पर मा
श्री अनवरजा ने कहा कि जब
अधिशासी-अधिकारी द्वारा प्र
को अनियमित और अवैध
कहा गया है तो अध्यक्ष
प्रस्ताव को रखे जाने का

8.1.90

औचित्य स्पष्ट करें। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव को उन्होंने अपने विशेषाधिकार से इसे रखवाये हैं लेकिन इस पर अधिकांश सभासद सन्तुष्ट नहीं हुये और सभासद श्री सोमनाथ आर्य ने कहा कि पालिका के अधिकांश सभासदों द्वारा प्रेषित अनापत्ति प्रस्ताव बैठक में नहीं रखे जाते हैं और ठेकेदारों के प्रार्थना पत्र सीधे बैठक में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं यह आपत्तिजनक है इसका औचित्य स्पष्ट किया जाय कि एक ठेकेदार का प्रार्थनापत्र कैसे सीधे बैठक में रख दिया गया अध्यक्ष ठेकेदार के इस प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें। सभासद श्री सै० मेंहदी हसन ने कहा कि अधिशासी-अधिकारी ने उपरोक्त कटौती जबरन की है, जिसका अधिशासी-अधिकारी ने तुरन्त खंडन किया और यह कहा कि कटौती निर्माण कार्य की गुणता को देखकर की गयी है इसको कभी भी किसी स्तर पर देखा जा सकता है। मौके पर वह सड़क आज भी मौजूद है, जिसे देखा जा सकता है। सभासद एवं उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र-प्रताप सिंह ने कहा कि उपरोक्त ठेकेदार के भुगतान हेतु सभासद श्री मेंहदी हसन को [illegible] सन्तुष्ट हैं यदि नियमानुसार भुगतान हो सकता है तो भुगतान करने की कार्यवाही की जाय। प्रकरण में यह निर्णय,

P. 8.1.90

3. पालिका अध्यक्ष का प्रस्ताव कि उ०प्र०म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 104(1)(बी) के साथ पठित पालिका रेगुलेशन संख्या 21 में घोषित प्राविधानानुसार गत वर्ष गठित पालिका की 9 समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसे अग्रेतर एक वर्ष के लिये बढ़ाने अथवा समिति सदस्यों के नव निर्वाचन हेतु चालू माह में ही तिथि निश्चित करने को परिषद विचार एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

हुआ कि पत्रावली के माध्यम से ही यह प्रकरण प्रस्तुत हो। उ०प्र० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट 1916 की धारा 104 के अंतर्गत पालिका के विभिन्न समितियों के गठन के बारे में यह निर्णय लिया गया कि समितियों का कार्यकाल कतई नहीं बढ़ाया जायेगा। नये सिरे से चुनाव होगा। चुनाव के लिए सर्व सम्मति से तिथि निर्धारित नहीं हो पायी। अतएव इसे अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
25.1.90

अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
25.1.90